

### New Railway Lines in U.P. backward districts

4656. SHRI MOHD. ASRAR AHMAD: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to construct new Railway lines in the Backward Districts of Uttar Pradesh and specially in Budaun District as recommended by Uttar Pradesh Government in 1977 and again in Consultative Committee meeting held on 4th June, 1980;

(b) if so, when the survey will be made and work started;

(c) whether the survey has been made for alternative routes also covering Wazirganj, Ughiani, Bisauli, Bilsa, Sahaswan etc; and

(d) what is the estimated cost and the mileage involved as also the two termini involved?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (d). No investigations for the construction of new railway line between Miranpur-Katra and Bahjoi via Budaun, as suggested by the Govt. of U.P. have been carried out in the past. The proposed rail link would be about 135 kms. long (BG) and will cost about Rs. 19.00 crores at the present day construction costs. Due to severe constraint of resources which are not adequate even for completing the approved works, it is not possible to undertake either survey or construction of this rail link at present.

श्रेणी तीन तथा चार के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

4657. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेलवे विभागों में पदोन्नति के अवसर न होने के कारण श्रेणी तीन तथा चार के अनेक कर्मचारी अपने ग्रेडों में हके पडे हैं ;

(ख) क्या रेलवे में राजपत्रित अधिकारियों की वरिष्ठता के आधार पर पांच वर्ष के भीतर पदोन्नति प्राप्त होती है ;

(ग) यदि हां, तो उस अवधि में श्रेणी तीन तथा चार के कर्मचारियों को पदोन्नतियां देने के रास्ते में क्या दिक्कत है; और

(घ) इस प्रकार एक स्थान पर हके कर्मचारियों को पदोन्नति देने के बारे में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क), (ग) और (घ). रेलों के सभी विभागों में कर्मचारियों की सभी कोटियों के लिए पदोन्नति की पर्याप्त श्रेणियां हैं, पदोन्नति के अवसरों में और सुधार लाने के उद्देश्यों से, हाल ही में श्रेणी III और IV की कोटियों में अनेक पदों के ग्रेड बढ़ाये गये थे। जहां कहीं व्यावहारिक होता है, कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की सम्भावनाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से श्रमिक संगठनों के साथ परामर्श करके विभिन्न सवर्गों की समीक्षा की जाती है, लेकिन किसी भी कोर्ट में कर्मचारियों के लिए समयबद्ध पदोन्नतियां निर्धारित करना न तो व्यावहारिक है और न ही सम्भव है।

(ख) प्रवर वेतनमान के पदों पर सामान्यतः कनिष्ठ वेतनमान में 4 वर्ष से अन्यून सेवा वाले अधिकारियों की वरिष्ठता अमानुसार लेकिन अनपयुक्त को छोड़ कर, पदोन्नत किया जाता है। प्रवर वेतनमान से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान में और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से प्रवर प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति के लिए उन अधिकारियों में संयुक्त-दोष के आधार पर चयन किया जाता है, जिन्होंने अपने-अपने ग्रेड में सामान्यतः कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो।

### Interests of Indians working in U.S.A.

4658. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to a news-items published in *Times of India*, New Delhi dated 22nd June, 1980 under the caption "Indian in US wins case against employer's";

(b) if so, the facts thereof and Government's reaction thereto;

(c) whether government are aware that the U.S. Department of Labour brought the suit alleging that Pra-